भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1984

(11 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

पीएमएवाई-जी के अंतर्गत आवासों का लक्ष्य

1984. श्री राजेश नारणभाई चुडासमा:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2024 तक प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के अंतर्गत राज्यवार कितने आवासों का निर्माण किए जाने का लक्ष्य है;

(ख) क्या देश में पीएमएवाई-जी के अंतर्गत लक्ष्य प्राप्त किए जा रहे हैं ;

(ग) यदि हां , तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा प्रदान की गई वित्तीय सहायता का राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(डॉ. चंद्र शेखर पेम्मासानी)

(क): ग्रामीण क्षेत्रों में "सभी के लिए आवास" के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए , ग्रामीण विकास मंत्रालय 1 अप्रैल 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) का कार्यान्वयन कर रहा है ताकि मार्च 2024 तक 2.95 करोड़ पात्र ग्रामीण परिवारों को बुनियादी सुविधाओं सहित सहायता प्रदान की जा सके। वर्ष 2024 तक पीएमएवाई-जी के तहत निर्मित किए जाने वाले लक्षित मकानों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या अनुबंध- । में दी गई है।

(ख) और (ग): पीएमएवाई-जी के तहत मार्च, 2024 तक बुनियादी सुविधाओं के साथ 2.95 करोड़ पक्के मकानों का निर्माण करने का लक्ष्य था , जिनमें से लगभग सभी मकानों को

स्वीकृति दे दी गई है और वित्त वर्ष 2023-24 के अंत तक 2.69 मकानों का निर्माण पूरा हो चुका है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29 के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के कार्यान्वयन के प्रस्ताव को अनुमोदन दे दिया है , ताकि मार्च 2025 तक 2.95 करोड़ मकानों के निर्माण के लिए पहले के लक्ष्य के बकाया मकानों के साथ-साथ अतिरिक्त 2 करोड़ मकानों का निर्माण किया जा सके।

पीएमएवाई-जी के अंतर्गत मार्च 2024 तक आवंटित लक्ष्यों की तुलना में दिनांक 06.03.2025 तक राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार प्रगति **अनुबंध II** में दी गई है।

(घ) वित्तीय वर्ष 2023-24 तक योजना के अंतर्गत जारी केंद्रीय अंश का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुबंध III** में दिया गया है।

*****

अनुबंध I

पीएमएवाई-जी के अंतर्गत मकानों के लक्ष्य के संबंध में लोक सभा में दिनांक 11.03.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 1984 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

दिनांक 31.03.2024 तक पीएमएवाई-जी के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार आवंटित लक्ष्य

क्र. सं.	राज्य का नाम	वित्त वर्ष 2023-24 तक आवंटित लक्ष्य
1.	अरुणाचल प्रदेश	35,937
2.	असम	20,51,842
3.	बिहार	37,01,362
4.	छत्तीसगढ़	11,76,142
5.	गोवा	257
6.	गुजरात	6,03,343
7.	हरियाणा	29,402
8.	हिमाचल प्रदेश	29,138
9.	जम्मू और कश्मीर	3,36,498
10.	झारखंड	15,92,160
11.	केरल	35,157
12.	मध्य प्रदेश	37,99,546
13.	महाराष्ट्र	13,74,105
14.	मणिपुर	1,01,550
15.	मेघालय	1,88,034
16.	मिजोरम	29,967
17.	नागालैंड	48,830
18.	ओडिशा	27,25,585
19.	पंजाब	39,689
20.	राजस्थान	17,16,779
21.	सिक्किम	1,399

22.	तमिलनाडु	7,47,202
23.	त्रिपुरा	3,76,913
24.	उत्तर प्रदेश	36,14,870
25.	उत्तराखंड	69,194
26.	पश्चिम बंगाल	45,69,423
27.	अंडमान और निकोबार	3,424
28.	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	11,364
29.	लक्षद्वीप	45
30.	आंध्र प्रदेश	2,46,430
31.	कर्नाटक	2,41,409
32.	तेलंगाना*	0
33.	लद्दाख	3,004
	कुल	**2,95,00,000**

* तेलंगाना पीएमएवाई-जी का कार्यान्वयन नहीं कर रहा है।

अनुबंध ।।

पीएमएवाई-जी के अंतर्गत मकानों के लक्ष्य के संबंध में लोक सभा में दिनांक 11.03.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 1984 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

वित्त वर्ष 2023-24 तक आवंटित लक्ष्यों के लिए पीएमएवाई-जी के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार प्रगति

[इकाई संख्या में]

राज्य का नाम	मंत्रालय द्वारा आवंटित लक्ष्य	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा स्वीकृत मकान	वित्त वर्ष 2023-24 तक निर्मित मकान
अरुणाचल प्रदेश	35,937	35,591	35,591
असम	20,51,842	20,46,559	19,84,183
बिहार	37,01,362	37,00,696	36,65,711
छत्तीसगढ	11,76,142	11,81,556	11,11,184
गोवा	257	254	240
गुजरात	6,03,343	6,01,190	5,65,369
हरियाणा	29,402	29,392	28,814
हिमाचल प्रदेश	29,138	28,292	24,307
जम्मू और कश्मीर	3,36,498	3,34,889	3,01,965
झारखंड	15,92,160	15,92,132	15,64,696
केरल	35,157	35,106	34,128
मध्य प्रदेश	37,99,546	37,97,960	36,79,261
महाराष्ट्र	13,74,105	13,57,474	12,65,910
मणिपुर	1,01,550	1,01,549	37,792
मेघालय	1,88,034	1,86,014	1,37,363
मिजोरम	29,967	29,966	24,931
नागालैंड	48,830	48,826	26,588
ओडिशा	27,25,585	27,18,621	23,42,311

पंजाब	39,689	39,549	38,473
राजस्थान	17,16,779	17,15,231	16,96,946
सिक्किम	1,399	1,397	1,389
तमिलनाडु	7,47,202	7,30,555	6,35,160
त्रिपुरा	3,76,913	3,76,394	3,68,344
उत्तर प्रदेश	36,14,870	36,12,390	35,95,615
उत्तराखंड	69,194	68,540	68,143
पश्चिम बंगाल	45,69,423	45,69,032	34,19,155
अंडमान और निकोबार	3,424	2,988	1,238
दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	11,364	11,296	3,977
लक्षद्वीप	45	53	45
आंध्र प्रदेश	2,46,430	2,46,425	84,686
कर्नाटक	2,41,409	2,36,124	1,45,892
तेलंगाना*	0	0	0
लद्दाख	3,004	3,004	3,004
कुल	**2,95,00,000**	**2,94,39,045**	**2,68,92,411**

* तेलंगाना पीएमएवाई-जी का कार्यान्वयन नहीं कर रहा है।

अनुबंध III

पीएमएवाई-जी के अंतर्गत मकानों के लक्ष्य के संबंध में लोक सभा में दिनांक 11.03.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 1984 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

वित्त वर्ष 2023-24 तक पीएमएवाई-जी के अंतर्गत जारी केंद्रीय निधि का राज्यवार विवरण

क्र.सं.	राज्य	वित्त वर्ष 2023-24 तक जारी केंद्रीय निधि (करोड़ रुपये में)
	आंध्र प्रदेश	1,024.87
2.	अरुणाचल प्रदेश	483.76
3.	असम	24,020.39
4.	बिहार	29,362.15
5.	छत्तीसगढ़	9,044.84
6.	गोवा	2.85
7.	गुजरात	4,316.74
8.	हरियाणा	206.08
9.	हिमाचल प्रदेश	278.76
10.	जम्मू और कश्मीर	3,610.23
11.	झारखंड	12,419.41
12.	कर्नाटक	1,588.04
13.	केरल	194.30
14.	मध्य प्रदेश	28,811.76
15.	महाराष्ट्र	9,809.78
16.	मणिपुर	614.20
17.	मेघालय	2,251.24
18.	मिजोरम	306.07
19.	नागालैंड	476.46
20.	ओडिशा	19,973.97
21.	पंजाब	263.23

22.	राजस्थान	12,779.80
23.	सिक्किम	15.68
24.	तमिलनाडु	5,569.58
25.	त्रिपुरा	4,578.09
26.	तेलंगाना*	190.79
27.	उत्तर प्रदेश	27,065.22
28.	उत्तराखंड	849.97
29.	पश्चिम बंगाल	25,797.53
30.	अंडमान और निकोबार	24.62
31.	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	72.18
32.	लक्षद्वीप	0.71
33.	लद्दाख	21.88
	कुल	**2,26,025**

* तेलंगाना पीएमएवाई-जी को लागू नहीं कर रहा है और उसने केंद्र का हिस्सा भारत सरकार को वापस कर दिया है